

**झारखण्ड सरकार,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

—::अधिसूचना::—

राँची, दिनांक :30.07.2024

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1383 / श्री मोहन जी झा, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला—मधुबनी, बिहार) जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा को स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), पाकुड़ के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1384 / श्री जयंत कुमार मिश्र, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला—पटना, बिहार) प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को स्थानांतरित करते हुए सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1385 / श्री सच्चिदानन्द द्विवेन्दु तिग्गा, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला—राँची) सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची को स्थानांतरित करते हुए प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1386 / श्री बिनोद कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला—गिरिडीह) जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर— अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर/प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जसीडीह, देवघर तथा प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, घोरमारा, देवघर को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1387 / श्री संतोष गुप्ता, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला—सिमडेगा) जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सतबरवा, पलामू के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1388 / श्री नूर आलम खाँ, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला—लातेहार) जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला को जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। गुमला के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1389 / श्री कैलाश मिश्र, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला—चतरा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1390 / श्री मधुकर कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला—गिरिडीह) अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, चाईबासा—सह—सरायकेला—अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चैनपुर, प. सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर— अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जसीडीह, देवघर तथा प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, घोरमारा, देवघर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1391 / श्री अविनाश राम, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-रामगढ़) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1392 / श्री आकाश कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-पलामू) सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1392 / श्री आकाश कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-पलामू) जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा- अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग- अतिरिक्त प्रभार- क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सदर हजारीबाग एवं प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1393 / श्री अनुराग मिंज, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-गुमला) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जामा, दुमका को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1394 / सुश्री कविता खलखो, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चितरपुर, रामगढ़ अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1395 / श्रीमती बबिता कुमारी, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-राँची) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चितरपुर, रामगढ़ के पद का अतिरिक्त प्रभार उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्रदान किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1396 / श्री मिथिलेश केरकेटा, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1397 / श्री बादल राज, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-देवघर) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा- अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), सिमडेगा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1398 / श्री प्रवीण कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, तिसरी, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम- अतिरिक्त प्रभार, अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, चाईबासा-सह-सरायकेला-एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चैनपुर, पश्चिमी सिंहभूम के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1399 / श्री नयन कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-दुमका) जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़- अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1400 / श्री मुकुल राज, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1401 / श्री सौरभ प्रकाश, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-खूंटी) सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1401 / श्री सौरभ प्रकाश, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-खूंटी) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, गोड्डा- अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुम्मा, गोड्डा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1402 / सुश्री मिथिला दुर्दू (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-दुमका) जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड़डा अतिरिक्त प्रभार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड़डा को जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोड़डा के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1403 / श्री दीपक कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-दुमका) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग— अतिरिक्त प्रभार, अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सदर हजारीबाग एवं प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड़डा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1404 / सुश्री अमृता सिंह, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-पलामू) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, पलामू अंतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सतबरवा, पलामू को स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेदिनीनगर, पलामू के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1405 / श्रीमती दास सुनन्दा चन्द्रमौलेश्वर, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-देवघर) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बेड़ो, राँची को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1406 / श्री रणधीर कुजूर, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-गुमला) प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेदिनीनगर, पलामू अंतिरिक्त प्रभार जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू को स्थानांतरित करते हुए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रेहला, पलामू के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1407 / श्री राजेश कुमार पासवान, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-बोकारो) जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जगरनाथपुर, प. सिंहभूम अंतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिनसई, प.सिंहभूम के पद पर उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1408 / श्री विकेश कुणाल प्रजापति, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा— अंतिरिक्त, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोडरमा को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1409 / श्रीमती कंचन कुमारी, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जयनगर, कोडरमा को अपने कार्यों के अंतिरिक्त क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोडरमा के पद का अंतिरिक्त प्रभार उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्रदान किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1410 / श्री संदीप कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-लातेहार) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जगरनाथपुर, पश्चिमी सिंहभूम अंतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिनसई, प.सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1411 / सुश्री जुही रानी, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, महेशपुर, पाकुड़— अंतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), पाकुड़ को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1412 / श्रीमती अंबुजा राज लक्ष्मी, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ- अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, महिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गम्हरिया, सरायकेला-खरसावाँ को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सिमरिया, चतरा के पद पर सिमरिया, चतरा- अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सिमरिया, चतरा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1413 / श्री गौतम कुमार साहू (झा.शि.से.-02) (गृह जिला- चतरा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बाघमारा, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1414 / श्री आयुष कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा) अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1415 / श्री कैसर रजा, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-चतरा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, नगर उटारी, गढ़वा- अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रेहला, पलामू को स्थानांतरित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1416 / श्री अमित कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-धनबाद) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, सिमरिया, चतरा- अतिरिक्त प्रभार, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सिमरिया, चतरा को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1417 / श्री दीपक राम, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सिमडेगा के पद का अतिरिक्त प्रभार उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्रदान किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1418 / श्री भूतनाथ रजवार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-बोकारो) जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1419 / श्री रामजी कुमार, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, धनवार, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, माण्डर, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1420 / श्री रकीब अंसारी, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-हजारीबाग) अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, गुमला को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बेड़ो, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1421 / श्रीमती रौशनी सिंह, (झा.शि.से.-02) (गृह जिला-लोहरदगा) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, कोलेबिरा, सिमडेगा को स्थानांतरित करते हुए अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. इस अधिसूचना से प्रभावित प्रभार रहित पदाधिकारी अन्यत्र पदस्थापन के लिए विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे।

3. कार्यहित में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अपने मौलिक पद से उच्चतर पद पर अपने ही वेतनमान में पदस्थापित पदाधिकारियों की उच्चतर पद के वेतन का दावा मान्य नहीं होगा। यह व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी है, जिसे किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा नव पदस्थापित जिला शिक्षा अधीक्षकों को उनके निर्दिष्ट कार्यों (शिक्षकों की नियुक्ति के प्रक्रिया अन्तर्गत काउंसिलिंग कार्यों) के निष्पादन में आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

5. उपरोक्त स्थानांतरित एवं पदस्थापित पदाधिकारीगण दिनांक-05.08.2024 तक अपने-अपने पदों के प्रभार का आदान-प्रदान सुनिश्चित करते हुए ज्ञाप प्रति विभाग (मुख्यालय) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1422 /

राँची, दिनांक : 30.07.2024

प्रतिलिप : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय अंक में प्रकाशनार्थ / नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1422 /

राँची, दिनांक : 30.07.2024

प्रतिलिप : प्रधान महालेखाकार (लेखा, एवं हक.) का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि. को.) विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : सं.सं.-01 / स्था.02-01 / 2008 (खण्ड)-1422 /

राँची, दिनांक : 30.07.2024

प्रतिलिप : माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड/विभागीय प्रभारी सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची/निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची/निदेशक, झारखण्ड मध्याहन भोजन प्राधिकरण, राँची/सभी संबंधित प्रशिक्षण परिषद, राँची/सभी संयुक्त सचिव/उप आयुक्त/उपायुक्त, झारखण्ड/अध्यक्ष, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण, राँची/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, सचिव/अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं राँची/सभी संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखण्ड/सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड एवं उपरोक्त सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.07.24

सरकार के अवर सचिव।